राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–1/1/12/वि/स्था/7754 दिनांकः– 28-07-2026

–::आदेश::–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 (प्रतीक्षा सूची से चयनित) की प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2) प्र. सु/अनु–3/2025–08916 दिनांक 02.07.2026 के द्वारा आवंटित किये जाने पर निम्नांकित अभ्यर्थी को आवंटित होने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त (नियम डिवीजन) विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार पे–मेट्रिक्स लेवल–05 के नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/– प्रतिमाह की दर से अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर पदस्थापन राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में एतद्द्वारा किया जाता है:–

SL NO	RANK	ROLL NO	NAME	FATHER NAME	DOB	GENDER	CAT	SEL. CAT	HOME DISTT
1	**4010**	**442007**	**MANBIR SINGH**	**RAJARAM GURJAR**	**27-10-1999**	**MALE**	**MBC**	**MBC-A-WL**	**JAIPUR**

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश नियत अवधि तक उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी/एससी/ओबीसी/एमबीसी/जा.प्र.प/सामान्यअवि/2015–54159 दिनांक 09.09.2105 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प. 11(204) आएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/ 2011168999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 व परिशिष्ठ iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. परिवीक्षा काल मे इन्हें नियमानुसार कोई वार्षिक वेतन वृद्वि देय नहीं होगी।
5. उपरोक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
6. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
7. दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
9. उपरोक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता आवंटित सूची में अंकित वरीयता क्रम में ही रहेगी।
10. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नही पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवामुक्त किया जा सकेगा।

RajKaj Ref No.:
23507604

Digitally signed by
MAHAVEER PRASAD
Designation: Registrar
Date: 2026-07-28
16:28:00 IST

v-1.0

11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करते समय, पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कार्यग्रहण करवाया जाना संभव नहीं होगा।
12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवायें समाप्त कर सकेगी।
13. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्ययधीन रहेगी।
14. राज्य में अवस्थित बोर्डो/विश्वविद्यालय/संस्थापन द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की संबधित बोर्डो/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्ययधीन रहेगी।
15. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(5) डीओपी/ए–2/17 दिनांक 15.05.18 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटैस्टेशन फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
16. उपरोक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
17. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
18. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
19. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कैलण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कैलण्डर वर्ष के मध्य मे होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
20. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

(महावीर प्रसाद)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक : सम/7755-7780 दिनांक : 28-07-2026

प्रतिलिपिः– निम्नांलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(2) प्र. सु/अनु–3/2025–08916 दिनांक 02.07.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. निजी सहायक, निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अजमेर।
7. प्रभारी अधिकारी (समस्त) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
9. संबंधित कार्मिक .....।
10. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

RajKaj Ref No.:
23507604

Digitally signed by
MAHAVEER PRASAD
Designation: Registrar
Date: 2026-07-28
16:28:00 IST

v-1.0